

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 485/2013
संस्थित दिनांक- 03.09.2013

दिनेश पिता सीताराम पाटीदार,
आयु-43 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-बड़दा, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी**परिवादी**

वि रु द्ध

अनिल पिता हरिजी पाटीदार (आवलिया),
आयु-40 वर्ष, व्यवसाय-व्यापार,
प्रोप्रायटर-पी.एम.ऑटो इंटरनेशनल,
बड़वानी रोड़, अंजड़, जिला बड़वानी**अभियुक्त**

परिवादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री विशाल कर्मा
अभियुक्त द्वारा विद्वान अधिवक्ता	- श्री संजय गुप्ता

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 23-07-2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध परिवादी को दायित्व के अधीन स्थान अंजड़ में दिनांक 15.03.2013 रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का चैक क्रमांक 022824 आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक खाता क्रमांक 049005000231 के, आरोपी के खाते पर्याप्त निधि नहीं होने से अनादरित होने के आधार पर दिए गए सूचना पत्र के अनुसार उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध विचारणीय है।

2- प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरोपी ने दीवालिया घोषित कराने के लिए प्रांतीय दीवाला अधिनियम 1920 की धारा 7 के अंतर्गत माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी व आरोपी के आपस में पारिवारिक संबंध होकर आरोपी नगर अंजड़ में पी.एम.टी.ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन भी वही करता है तथा आरोपी को अपने व्यापारिक एवं पारिवारिक कार्यों हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने अंजड़ में परिवादी से नकद धनराशि रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) उधार स्वरूप प्राप्त किए थे और उक्त राशि की अदायगी हेतु आरोपी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा बड़वानी के खाता क्रमांक 049005000231

का चैक क्रमांक 022824 दिनांक 15.03.2013 का राशि रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया, जो चैक परिवादी ने अपने खाते में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो परिवादी को दिनांक 16.04.2013 बैंक द्वारा बिना भुगतान के अपर्याप्त निधि की टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 06.05.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की। आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने जानबूझकर दिनांक 06.05.2013 को लेने से इन्कार कर दिया और उक्त सूचना पत्र वापस परिवादी अभिभाषक को प्राप्त हुआ। इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

4— उक्त अनुसार आरोपी पर परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अभियोग अधिरोपित कर अपराध विवरण तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्ष्य देना प्रकट कर किसी भी साक्षी के कथन बचाव में नहीं कराए गए हैं।

5— विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष में दिनांक 15.03.2013 को शाखा बड़वानी के अपने आईसीआईसीआई बैंक के खाता क्रमांक 049005000231 का चैक क्रमांक 022824 रुपये 3,00,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया ?
ब	क्या आरोपी द्वारा दिया गया उक्त चैक उसके खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण अनादरित हुआ ?
स	क्या आरोपी ने उक्त चैक की धनराशि का भुगतान परिवादी द्वारा बार—बार मांग किए जाने और सूचना पत्र दिए जाने के बाद भी नहीं किया ?
द	यदि हां, तो निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' लगायत 'द' पर सकारण निष्कर्ष —

6— चूंकि सभी विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने और सुविधा की दृष्टि से उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी ने स्वयं का परीक्षण न्यायालय में कराया है। परिवादी दिनेश (परि.सा.—1) ने परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि परिवादी व आरोपी के आपस में पारिवारिक

संबंध होकर आरोपी नगर अंजड़ में पी.एम.टी.ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन भी वही करता है तथा आरोपी को अपने व्यापारिक एवं पारिवारिक कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने अंजड़ में परिवारी से नकद धनराशि रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) उधार स्वरूप प्राप्त किए थे और उक्त राशि की अदायगी हेतु आरोपी ने अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा बड़वानी के खाता क्रमांक 049005000231 का चैक क्रमांक 022824 दिनांक 15.03.2013 का राशि रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवारी के पक्ष में जारी किया। परिवारी ने आगे यह भी कथन किया है कि आरोपी द्वारा प्रदत्त उक्त चैक परिवारी ने अपने खाते में बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अंजड़ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो परिवारी को दिनांक 16.04.2013 बैंक द्वारा बिना भुगतान के अपर्याप्त निधि की टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ, तब परिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से दिनांक 06.05.2013 को सूचना पत्र प्रेषित कर चैक की धनराशि की मांग की। आरोपी ने सूचना पत्र की जानकारी होने के बाद भी उसने जानबूझकर दिनांक 06.05.2013 को लेने से इन्कार कर दिया और उक्त सूचना पत्र वापस परिवारी अभिभाषक को प्राप्त हुआ। इसलिए परिवारी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

8— परिवारी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा परिवारी के पक्ष में जारी चैक प्रपी-1 को प्रमाणित करते हुए, आरोपी की शाखा बड़वानी स्थित आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिया गया अनादरण मेमो प्रपी-2, परिवारी की अंजड़ शाखा स्थित बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा परिवारी को दिया गया पत्र, प्रपी-3 तथा परिवारी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा आरोपी को दिये गये सूचना पत्र की प्रतिलिपि, प्रपी-4, उसकी पोस्टल रसीद, प्रपी-5 और आरोपी को प्रेषित पंजीकृत डाक का वापसी लिफाफा, प्रपी-6 को भी प्रदर्शित कर प्रमाणित कराया है।

9— आरोपी की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में परिवारी ने यह स्वीकार किया है कि वह तीन भाई हैं और एकसाथ रहते हैं। उसके पास अलग से कोई कृषि भूमि नहीं है। सभी भाइयों की संयुक्त कृषि भूमि है, जो 40 एकड़ है, जिसकी अलग-2 पावती है तथा तीनों भाइयों के नाम पर लगभग 13.5 एकड़ जमीन है तथा 10 एकड़ कृषि भूमि पिताजी के नाम से है और शेष जमीन उसके एवं उसके बड़े भाई रमेश के नाम से है। सभी भूमियों में अलग-2 फसल लगी हुई है, जिनमें संयुक्त कृषि भूमि में गेहूं और गन्ना लगा हुआ है, पिताजी की कृषि भूमि में गेहूं व टमाटर लगे हुए हैं तथा शेष भूमि में केले व टमाटर लगे हुए हैं। वे सभी भाई मिलकर कृषि करते हैं। साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि मजदूरों का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है और मजदूरी भुगतान का भी कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि खेत के लिए खाद-बीज की दुकान निर्धारित नहीं है, कहीं से भी क्रय कर लेते हैं और उसका भुगतान नकद करते हैं और उसका कोई बिल नहीं बनवाते हैं। परिवारी का बैंक ऑफ इण्डिया में संयुक्त खाता संचालित होकर लेनदेन का कार्य तीनों भाई मिलकर करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बैंक की

पासबुक घर में रहती है तथा उक्त संयुक्त खाते में लाखों रूपयों का लेनदेन हुआ है। उसे बैंक खाता क्रमांक याद नहीं है, किन्तु आगे स्पष्ट किया कि शायद 3036 है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके पास पैन कार्ड नहीं है, उसके भाई के पास पैन कार्ड है।

10— साक्षी से किए गए प्रतिपरीक्षण में परिवादी ने यह स्वीकार किया है कि चैक बाउंस होने के बाद वह अधिवक्ता के पास गया था तथा उसके अधिवक्ता द्वारा दिये गये सूचना पत्र की दिनांक उसे याद नहीं है। सूचना पत्र प्रपी-4 के ए से ए भाग पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने सूचना पत्र दिनांक 06.05.2013 को दिया था और मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में अभियुक्त को सूचना पत्र देने की दिनांक 04.05.2013 लिखी है, लेकिन उक्त तिथि में भिन्नता होने से आरोपी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आरोपी द्वारा उक्त सूचना पत्र प्राप्त ही नहीं किया गया था।

11— परिवादी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके पास ट्रैक्टर है और उसमें खराबी आने पर वे इंदौर से पॉर्ट्स खरीदते हैं और घर का जो सामान खतम हो जाता है, वे ले आते हैं। वे क्रय की गई सामग्री का कोई हिसाब-किताब नहीं रखते हैं। साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि वह जो पैसा अभियुक्त को देना बता रहा है, वह नकद दिये थे। अभियुक्त अनिल से उनके पारिवारिक संबंध थे। लेकिन परिवादी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने, उसके भाई रमेश व सुरेश ने अभियुक्त अनिल को कोई पैसे नहीं दिये थे, लेकिन उसे याद नहीं है कि विवादित चैक उसे बैंक से कब वापस प्राप्त हुआ था।

12— इस प्रकार परिवादी से किये गये सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान परिवादी को ऐसा कोई सुझाव बचाव पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है कि आरोपी ने अपने हस्ताक्षर से प्रपी-1 का चैक परिवादी के पक्ष में जारी नहीं किया तथा उक्त चैक बिना किसी दायित्व के परिवादी ने प्राप्त किया। आरोपी के अधिवक्ता ने बचाव साक्ष्य देना प्रकट किया था, किन्तु कई अवसर देने के बाद भी किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है। परिवादी के कथनों का समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होता है, जिनमें प्रपी-1 वह चैक है जिसके आधार पर परिवादी ने यह परिवाद न्यायालय में पेश किया है और आरोपी ने प्रपी-1 के चैक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार भी नहीं किया है। इसी प्रकार प्रपी-2 आरोपी के बैंक का अनादरण मेमो है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी के उक्त खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण उक्त चैक अनादरित हुआ है तथा प्रपी-3 परिवादी के बैंक द्वारा दी गयी सूचना, प्रपी-4 परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिये गये सूचना पत्र की प्रतिलिपि है, उसकी पोस्टल रसीद प्रपी-5 व प्रपी-6 आरोपी को भेजे गए पंजीकृत डाक का वापसी लिफाफा है, जो आरोपी द्वारा लेने से इन्कार करने के कारण परिवादी को वापस प्राप्त हुआ है।

13— परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं,

जिससे कि परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का खण्डन होता हो। ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर यह उपधारणा परिवादी के पक्ष में की जा सकती है कि आरोपी द्वारा प्रपी-1 का चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु जारी किया गया था और उक्त उक्त चैक आरोपी के खाते में पर्याप्त निधि नहीं होने के कारण अनादरित हुआ है, जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध है, जो परिवादी प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

14— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

15— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

16— सजा के प्रश्न पर विचार किए जाने पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित करवाने के लिए आवेदन जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोपी के पास वर्तमान में इतने साधन नहीं हैं कि वह उक्त चैक की धनराशि परिवादी को अदा कर सके। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे। उनका यह भी निवेदन है कि आरोपी को व्यापार में घाटा होने के कारण उक्त अपराध घटित हुआ है तथा आरोपी लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है।

17— प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आरोपी द्वारा मात्र स्वयं को दीवालिया घोषित किए जाने का आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के आधार पर आरोपी सहानुभूति का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

18— अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, निवासी अंजड़, जिला बड़वानी को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है तथा प्रकरण की परिस्थितियों में दंप्रसं. की धारा 357 (3) एवं परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 117 (1) के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी परिवादी को प्रतिकर स्वरूप रुपये 3,50,000/— (अक्षरी रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) अदा करेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20— द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

21— प्रकरण में कोई भी जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain